



अ.शा. पत्र सं 11034/06/2023-राजभाषा (नीति)

दिनांक : 01 जून, 2023

आधिकारीय मर्मायम / मर्मापना

विषय: 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस, तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वर्ष 2023 के हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के 10 हजार से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। राजभाषा विभाग द्वारा किया गया यह आयोजन संविधान सभा द्वारा सौंपे गए संवैधानिक उत्तरदायित्वों और संविधान की भावना के अनुरूप तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सन्दर्भावना की नीति के साथ, राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और इसके प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास था।

2. पिछले वर्ष की भाँति, इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन पुणे (महाराष्ट्र) में होगा।

3. हिंदी का उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और इस कार्यक्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए, अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड आदि हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 14 से 29 सितंबर के दौरान ही मनाना सुनिश्चित करें और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी अवधि के दौरान आयोजित करें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक कार्यालय के हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र से हो और समाप्त 29 सितंबर, 2023 को संबंधित कार्यालय में हो। मंत्रालयों/विभागों आदि में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर के बाद संपन्न कराई जाएं। अपरिहार्य स्थिति में ये प्रतियोगिताएं 1 से 13 सितंबर, 2023 के मध्य आयोजित की जा सकती हैं। मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि अपनी सुविधानुसार इस अवधि के उपरांत हिंदी माह भी आयोजित कर सकते हैं। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे एवं पत्राचार को बढ़ाया जा सके।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। साथ ही सरकारी कार्य में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जो कि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सन्दावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जाए। अधिकारियों/कार्मिकों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अधिकारियों/अनुवादकों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुणे में होने वाले हिंदी दिवस एवं तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें (संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की साइट rajbhasha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।) कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

साप्त

शुभेच्छा,

अ.आर्य 1/6

(अंशुली आर्य)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव